फर्द अहकाम

विशाल बनाम हरिनारायण वगैरह

नाम न्यायालय

केस संख्या 111/2017 प्रावधान P.R.

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	24/1/19	पक्षकारान वकील उप० / वकील प्रार्थी की एकतरफा बहस सुनी गई। बाद बहस पक्षकारान मे अनावश्यक वाद कुलना नही बढे एवं अनावश्यक विवाद न हो इस बिन्दु के मद्दे नजर रखते हुऐ प्रावधान अन्तर्गत 21 सीपीसी को स्वीकार किया जाकर इस न्यायालय के आदेश दिनांक 19-12-2017 को मूल वाद के निस्तारण तक कन्फर्म किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर पत्रांक 5 से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी
फागी (जयपुर)